पत्रांक–10/स्थापना व्यय आ0–17/2025 88/311 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पाकुड़, गुमला, हजारीबाग, देवघर, गोड्डा, लातेहार, दुमका,
कोडरमा, चतरा एवं सरायकेला–खरसावाँ।

राँची, दिनांक–03-12-2025

विषयः– **स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष–01–अवर प्रमंडलीय स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु विभिन्न इकाईयों में कुल ₹4,27,29,750/– (चार करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार सात सौ पचास रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभिन्न इकाईयों में कुल ₹4,27,29,750/– (चार करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार सात सौ पचास रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृ0पृ0उ0

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

01/XII

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/स्थापना व्यय आ0–17/2025 88/311 राँची, दिनांक–03-12-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/XII/XXV

सरकार के सचिव।

10/स्थापना व्यय आ0–17 / 2025.....रा., रांची, दिनांक–

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष– 01– अवर प्रमंडलीय स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि का आवंटन विवरणी–

क्र.	कार्यालय	DDO Code	वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा भत्ता	कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	दूरभाष	वर्दी	आपूर्ति एवं सामग्री	मोटरगाड़ी., ईंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल
1	उपायुक्त, गुमला	GMLDAD 002	3200000	0	200000	200000	50000	200000	0	0	400000	0	4250000
2	उपायुक्त, हजारीबाग	HZBDAD 011	3500000	0	58000	200000	50000	140000	45000	0	400000	80000	4473000
3	उपायुक्त, पाकुड़	PKRDADA 01	0	0	100000	200000	50000	25000	112500	100000	200000	100000	887500
4	उपायुक्त, देवघर	DGRDADA 94	0	100000	100000	200000	100000	10000	100000	100000	500000	200000	1410000
5	उपायुक्त, गोड्डा	GDDDAD 020	8528000	0	0	200000	50000	120000	0	100000	500000	90000	9588000
6	उपायुक्त, लातेहार	LTRDAD 016	7500000	0	50000	200000	50000	150000	100000	100000	300000	100000	8550000
7	उपायुक्त, दुमका	DMKDAD 012	0	0	0	200000	0	100000	0	0	200000	100000	600000
8	उपायुक्त, कोडरमा	KDMDADA 13	0	0	0	100000	50000	0	31250	0	150000	20000	351250
9	उपायुक्त, चतरा	CTRDAD 004	8000000	0	0	200000	50000	0	0	100000	200000	20000	8570000
10	उपायुक्त, सराय. खर.	SKLDAD 023	3250000	0	100000	200000	50000	20000	30000	100000	300000	0	4050000
कुल योग			**33978000**	**100000**	**608000**	**1900000**	**500000**	**765000**	**418750**	**600000**	**3150000**	**710000**	**42729750**

01/XII/2025

(चन्द्रशेखर)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।